



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 882] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 11, 2018/अग्रहायण 20, 1940

No. 882] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 11, 2018/AGRAHAYANA 20, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि.1192(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए नियमों का प्रारूप मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (I), तारीख 16 अप्रैल, 2018 में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 371(अ), तारीख 16 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां 16 अप्रैल, 2018 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, उक्त प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 27 और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (सत्रहवाँ संशोधन) नियम, 2018 है ।
(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989(जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), नियम 2 में, -

- (i) उसके खंड (i) को खंड (i) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (i) से पूर्व निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘(i) “वर्ग L” से चार पहिया से कम वाले तथा एक चौपहिया (क्वाट्रीसाइकिल) मोटरयान अभिप्रेत है।’

- (ii) उसके खंड (ज) को खंड (iख) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (iख) के पश्चात् निम्नलिखित खंडों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ग) “L5” से तीन पहिये वाले मोटर वाहन अभिप्रेत हैं जिनमें 25 किमी/घंटे अधिकतम गति और थर्मिक इंजन लगे होने पर 25 सीसी इंजन क्षमता, या इलेक्ट्रिक मोटर लगे होने पर 0.25 किलोवाट से अधिक इंजन शक्ति हो और वाहन सामान्यतः (क) लोगों को लाने –ले- जाने ; या (ख) माल ढोने के लिए उपयोग किया जाएगा ।

अधट्टिलर जुड़ा हो सकता है, जिनमें;

(क) हैंडल हत्था या स्टीयरिंग पहिया लगाया गया है;

(ख) खंड (घ) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन सकल वाहन भार 1500 किग्रा तक सीमित हो;

(ग) यदि तीन पहिया ट्रैक्टर में अधट्टिलर लगाए जाते हैं तो, खंड (घ) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन सकल संयोजक भार 2500 किग्रा तक सीमित रखा जाए ; और

(घ) बैटरी द्वारा चालित तीन पहिया के मामले में संकर्षण बैटरियों का भार जीवीडब्ल्यू या जीसीडब्ल्यू की गणना के लिए और वर्गीकरण के प्रयोजन हेतु ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

(घ) “श्रेणी LL L5-M” तीन पहिये का यात्री वाहक यात्रियों को लाने –ले- जाने के लिए आशयित अपनी तकनीकी विशिष्टियों की वजह से (ऑटो रिकशा) अभिप्रेत है।

(ज) “श्रेणी LL L5-N” से अभिप्रेत है – माल ढोने के लिए आशयित अपनी तकनीकी विशिष्टियों की वजह से तीन पहिया माल वाहन ।

कोई तीन पहिया वाहन इस पर निर्भर करते हुए कि चालक सहित व्यक्तियों का भार, जिनके लिए बैठने की व्यवस्था की जाती है, ढोये जाने वाले माल के भार से अधिक या कम है, ‘L5-M यात्री वाहक (ऑटो रिकशा)’ या ‘L5-N’ माल वाहक’ की श्रेणी के अंतर्गत आ सकता है ।

एक तीन पहिया L5-N(माल वाहक) की श्रेणी के अंतर्गत आ सकता है यदि,-

(क) माल ढोने के लिए पृथक भार लादने का हिस्सा (लोड बॉडी) या कम्पार्टमेंट की व्यवस्था की गई हो;

(ख) चालक को छोड़कर बैठने के स्थानों की संख्या तीन से अधिक न हो ; और

(ग) उस वाहन द्वारा ढोये जा रहे माल का भार निम्नलिखित सूत्र द्वारा की गई गणना के अनुसार, सवार व्यक्तियों के भार से अधिक हो;

$$पी - (ए + बी \times 68) > बी \times 68$$

जहां पर

पी = तकनीकी रूप से अनुज्ञात अधिकतम लदान वजन (जीवीडब्ल्यू)(किग्रा)

ए = कर्ब भार स्थिति में वाहन भार (आईएस 9211:2003 में यथापरिभाषित , समय-समय पर यथासंशोधित) +68 किलोग्राम। इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में संकर्षण बैटरियों के भार को कर्ब भार से घटाया जाएगा ।

बी= ड्राइवर को छोड़कर बैठने की स्थानों की संख्या ;

(iii) टिप्पण में खंड (ठ) में,

(क) शब्द, अक्षर और अंक “ एआईएस 053:2005 का अनुलग्नक-1” के स्थान पर “ आई एस 14272:2011 का अनुलग्नक-k क ” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ख) शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक “ समय-समय पर जब तक तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986(1986 का 63) के अधीन अधिसूचित नहीं किए जाते हैं” के स्थान पर “समय-समय पर। एआईएस:053:2005 के स्थान पर आईएस: 14272:2011 के कार्यान्वयन की तारीख से पूर्व जारी किए गए प्रमाण पत्रों को वैध माना जाता रहेगा” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

(iv) खंड (ण) में,

(क) अक्षर और अंक “ एआईएस 053:2005” के स्थान पर “ आईएस 14272:2011” अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ख) शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक “ समय-समय पर जब तक तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986(1986 का 63) के अधीन अधिसूचित नहीं किए जाते हैं” के स्थान पर “समय-समय पर। एआईएस: 053:2005 के स्थान पर आईएस: 14272:2011 के कार्यान्वयन की तारीख से पूर्व जारी किए गए प्रमाण पत्रों को वैध माना जाता रहेगा” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

(v) टिप्पण में खंड (द) में,

(क) अक्षर और अंक “ एआईएस 053:2005” के स्थान पर “ आईएस 14272:2011” अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ख) शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक “ समय-समय पर जब तक तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986(1986 का 63) के अधीन अधिसूचित नहीं किए जाते हैं” के स्थान पर “समय-समय पर। एआईएस: 053:2005 के स्थान पर आईएस: 14272:2011 के कार्यान्वयन की तारीख से पूर्व जारी किए गए प्रमाण पत्रों को वैध माना जाता रहेगा” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

3. मूल नियमों में , नियम 96 में, उप-नियम(4)में,खंड (i) के पश्चात्,निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्: -

“(क) समय-समय पर यथासंशोधित आई एस : 14664:2010 के अनुसार 1 अप्रैल,2020 को और उसके पश्चात् विनिर्मित तिपहिया यान के लिए ;

(ख) समय-समय पर यथासंशोधित आई एस : 14664:2010 के अनुसार अधिसूचना की तारीख को या उसके छः मास पश्चात् या 1 अप्रैल या 1 अक्तूबर, जो भी पहले आए, विनिर्मित दोपहिया यान के लिए।”।

4. मूल नियमों में , नियम 104 में,-

(i) उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा ;

(ii) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा,अर्थात्: -

“(4)इस नियम में और नियम 110 में निर्दिष्ट रिफ्लेक्टर्स 1 अक्तूबर,2019 को और उसके पश्चात् विनिर्मित मोटर यानों के लिए समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-057 (संशोधित 1) :2010 मानक के अनुरूप रिफ्लैक्स टाइप होंगे, जब तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम,2016 (2016 का 11) के अधीन तत्स्थानी बी आई एस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं ।”।

(iii) उप-नियम (5) का लोप किया जाएगा।

5. मूल नियमों में, नियम 104-क में उप-नियम(vi) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

“(vi) इस उप-नियम में निर्दिष्ट रेफ्लेक्टर्स रिफ्लेक्टर्स 1 अक्टूबर, 2019 को और उसके पश्चात् विनिर्मित मोटर यानों के लिए समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-057 (संशोधित 1):2010 मानक के अनुरूप रिफ्लेक्स टाइप होंगे, जब तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन तत्स्थानी बी आई एस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते हैं।”।

6. मूल नियमों में, नियम 104-ख में उप-नियम(2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

“2. 1 अक्टूबर, 2019 को और उसके पश्चात् विनिर्मित कृषि ट्रैक्टर के साथ उपधारा (1) में निर्दिष्ट फिट किए हुए परावर्तक समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-057(आरईवी.1):2010 मानकों, ऐसे समय तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन अधिसूचित तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों के अनुपालन में रिफ्लेक्स प्रकार के होंगे,

7. मूल नियमों के, नियम 104ग के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

(1) 1 अक्टूबर, 2019 को और उसके पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक शक्ति टिलर पर समय समय पर यथासंशोधित एआईएस-057 (आरईवी.1):2010 मानकों, ऐसे समय तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन अधिसूचित तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों के अनुपालन में पावर टिलर के सामने और प्रत्येक साइड पर परावर्तक क्षेत्र में 7 वर्ग से.मी. से अन्यून के दो सफेद रिफ्लेक्स परावर्तक फिट किए जाएंगे और वे रात में सामने से आने वाले यानों के लिए दर्शनीय होंगे।

8. मूल नियमों के नियम 110 के दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह और कि पहला और दूसरा परंतुक तारीख 1 अक्टूबर, 2019 को और उसके पश्चात् विनिर्मित 1400 मि.मी. से अनधिक समग्र चौड़ाई वाले तिपहिया वाहनों पर लागू नहीं होंगे।”

9. . मूल नियमों के नियम 124क में -

(i) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(1क) 1 अक्टूबर, 2019 को और उसके पश्चात् विनिर्मित कृषि ट्रैक्टरों में उपयोग किए गए उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रकाश बल्ब और प्रकाश सिगनलिंग युक्तियां समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-034 (भाग 1) (आरईवी.1):2010 मानकों, ऐसे समय तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन अधिसूचित तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों के अनुपालन में होंगी”

परंतुक एआईएस-034(भाग 1) (आरईवी.1):2010 में विनिर्दिष्ट बल्बों के एस 1 और सी21 प्रवर्ग 1 अक्टूबर 2019 को और उसके पश्चात् विनिर्मित कृषि ट्रैक्टरों के प्रकाश और प्रकाश सिगनलिंग युक्तियों में उपयोग नहीं किए जाएंगे।

यह और कि एआईएस-034(भाग 1) (आरईवी.1):2010 में विनिर्दिष्ट बल्बों के आर 2 प्रवर्ग 1 अक्टूबर 2019 को और उसके पश्चात् विनिर्मित कृषि ट्रैक्टरों के हेडलैंपों में उपयोग नहीं किए जाएंगे।

(ii) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(2क) 1 अक्टूबर, 2019 को और उसके पश्चात् विनिर्मित कृषि ट्रैक्टरों में उपयोग किए गए प्रकाश और प्रकाश सिगनलिंग युक्तियां समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-030(आरईवी.1):2012 मानकों, ऐसे समय तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन अधिसूचित तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों के अनुपालन में होंगी”

(iii) उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(5). टॉ हक जहां कहीं उसका प्रयोग कंबाईंड हारवैस्टर में किया जाता है समय-समय पर यथा संशोधित आईएस:12362 (भाग 2) मानक के अनुसार होंगे।

“(5क) 1 अक्टूबर, 2019 को और उसके पश्चात् कृषि ट्रैक्टरों के लिए यांत्रिक कपलिंग समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-091(भाग 2):2012 मानकों, ऐसे समय तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन अधिसूचित तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों के अनुपालन में होंगी”

(5ख) 1 अक्टूबर, 2019 को और उसके पश्चात् कृषि ट्रैक्टरों के लिए जहां कहीं उपबंधित हों सामने की कपलिंग युक्ति समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-109:2012 मानकों, ऐसे समय तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन अधिसूचित तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों के अनुपालन में होंगी”।

10. मूल नियमों के, नियम 124ख के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“1 अक्टूबर, 2019 को और उसके पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक शक्ति टिलर पर प्रकाश और प्रकाश सिग्नलिंग युक्तियों के लिए उपयोग किए गए बल्ब -

- (क) मुख्य हैडलाइट और डिप;
- (ख) पार्किंग लाइट;
- (ग) दिशा इंडीकेटर लैंप;
- (घ) टेल लैंप;
- (ङ) रिवर्सिंग लैंप;
- (च) स्टाप लैंप;
- (छ) पीछे रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्रदीपन लैंप,

समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-034(भाग 1)(आरईवी.1):2010 मानकों, ऐसे समय तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन अधिसूचित तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों के अनुसार होंगे”।

परंतु एआईएस-034(भाग 1) (आरईवी.1):2010 में विनिर्दिष्ट बल्बों के एस 1 और सी21 प्रवर्ग, 1 अक्टूबर 2019 को और उसके पश्चात् विनिर्मित शक्ति टिलरों के प्रकाश और प्रकाश सिग्नलिंग युक्तियों में उपयोग नहीं किए जाएंगे।

यह और कि एआईएस-034(भाग 1) (आरईवी.1):2010 में विनिर्दिष्ट बल्बों के आर 2 प्रवर्ग, 1 अक्टूबर 2019 को और उसके पश्चात् विनिर्मित शक्ति टिलरों के हैडलैंपों में उपयोग नहीं किए जाएंगे।”

11. 7. मूल नियमों के, नियम 125 के उपनियम (2) के, -

(i) प्रथम और दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“परंतु यह कि -

(क) 1 अक्टूबर, 2019 को या उसके पश्चात् विनिर्मित बिना बॉडी कार्य के एल 5 प्रवर्ग (तिपहिया यानों) और एल 1 और एल 2 प्रवर्ग (दुपहिया यानों) के लिए रियर व्यू दर्पण विनिर्देश और संस्थापन अपेक्षाएं समय-समय पर यथासंशोधित क्रमशः एआईएस-001(भाग 2)(आरईवी-1):2011 और एआईएस-002(भाग 2)(आरईवी-1):2011 मानकों, ऐसे समय तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन अधिसूचित तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों के अनुपालन में होंगी”

(ख) 1 अक्टूबर, 2019 को या उसके पश्चात् विनिर्मित बॉडी कार्य सहित एल 5 प्रवर्ग (तिपहिया यानों) के लिए रिवर व्यू दर्पण विनिर्देश और संस्थापन अपेक्षाएं समय-समय पर यथासंशोधित क्रमशः एआईएस-001(भाग 2)(आरईवी-1):2011 और एआईएस-002(भाग 2)(आरईवी-1):2011 मानकों, ऐसे समय तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन अधिसूचित तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों के अनुपालन में होंगी”

(ग) 1 अक्टूबर, 2019 को या उसके पश्चात् विनिर्मित एम और एन प्रवर्ग यानों के लिए रिवर व्यू दर्पण विनिर्देश और संस्थापन अपेक्षाएं समय-समय पर यथासंशोधित क्रमशः एआईएस-001(भाग 1)(आरईवी-1):2011 और एआईएस-002(भाग 1)(आरईवी-1):2011 मानकों, ऐसे समय तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन अधिसूचित तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों के अनुपालन में होंगी”

परंतु यह और कि 1 अक्टूबर, 2019 को या उसके पश्चात् विनिर्मित एल 7 प्रवर्ग यानों के लिए रिवर व्यू दर्पण विनिर्देश और संस्थापन अपेक्षाएं समय-समय पर यथासंशोधित क्रमशः एआईएस-001(भाग 1)(आरईवी-1):2011 और एआईएस-002(भाग 1)(आरईवी-1):2011 मानकों, ऐसे समय तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन अधिसूचित तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों के अनुपालन में होंगी”

(ii) तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, --

“परंतु यह और कि 1 अक्टूबर, 2019 को या उसके पश्चात् विनिर्मित कृषि ट्रैक्टरों के लिए रिवर व्यू दर्पण विनिर्देश और संस्थापन अपेक्षाएं समय-समय पर यथासंशोधित क्रमशः एआईएस-001(भाग 1)(आरईवी-1):2011 और एआईएस-114-2009 मानकों, ऐसे समय तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन अधिसूचित तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों के अनुपालन में होंगी”

12. मूल नियमों के, नियम 126 के दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह और कि कृषि ट्रैक्टरों के प्रकार अनुमोदन और प्रमाणीकरण के लिए प्रक्रिया समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-017 (भाग-2) (आरईवी;2):2016 के अनुसार होगी ।”

[सं. आरटी-11028/11/2014-एमवीएल-भाग-1]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590 (अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि.1162(अ) तारीख 04 दिसंबर 2018 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2018

G.S.R. 1192(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways *vide* number G.S.R 371(E), dated the 16th day of April, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 16th day of April, 2018;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 27 and 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Seventeenth Amendment) Rules, 2018.
- (2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as the principal rules), in rule 2,-
 - (i) clause (i) shall be re-numbered as clause (ia) thereof and before clause (ia) as so re-numbered, the following clause shall be inserted, namely: -

“(i) “Category L” means the motor vehicles with less than four wheels and is a quadricycle;”;
 - (ii) clause (j) shall be re-numbered as clause (ib) thereof and after clause (ib) as so re-numbered, the following clauses shall be inserted, namely: -

“(ic) “Category L5” means a three wheeled motor vehicle with maximum speed of 25 km/h and engine capacity of 25 cc, if fitted with a thermic engine, or motor power exceeding 0.25 kW, if fitted with electric motor and the vehicle shall normally used for (a) carrying persons; or (b) carrying goods.

Semi-trailer may be attached, where, -

 - (a) handle bar or steering wheel is fitted;
 - (b) gross vehicle weight is limited to 1,500 kg, subject to the conditions specified in clause (d);
 - (c) in the case of semi-trailers being attached to a three wheeled tractor, the gross combination weight be limited to 2,500 kg subject to the conditions specified in clause (d); and
 - (d) weight of traction batteries in the case of battery operated three wheelers shall not be taken into account for calculating the GVW or GCW and for the purpose of classification;

(id) “Category L5-M” means a three wheeler passenger carrier (Auto-Rickshaw) on account of its technical features intended to carry passengers;

(j) “Category L5-N” means a three wheeler goods carrier on account of its technical features intended to carry goods;

A three wheeler may fall under the category of ‘L5-M- Passenger carrier (Auto rickshaw)’ or ‘L5-N- Goods Carriage’ depending on the weight of persons including driver for whom seating arrangements are provided is more than or less than the weight of goods carried.

three wheeler may fall under the category of L5-N (Goods Carrier), if, -

 - (a) a separate load body or compartment is provided for carrying the goods;
 - (b) the number of seating positions excluding the driver is not more than three; and
 - (c) the weight of goods carried by the vehicle is more than weight of persons carried, as calculated by following formula:
$$P - (A + B \times 68) > B \times 68$$

Where

P = Technically permissible maximum laden weight (GVW) (kg)

A = Vehicle weight in the kerb weight condition (as defined in IS 9211:2003, as amended time to time) + 68 kg. In the case of electric vehicles, the weight of traction batteries is to be subtracted from the kerb weight.

B = Number of seating positions excluding the driver;
 - (iii) in clause (l), in the Note -
 - (a) for the words, letters and figures “Annexure-I of AIS 053:2005,” the words, letters and figures “Annex A of IS 14272: 2011,” shall be substituted;

(b) for the words, letters, figures and brackets “time to time till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).” the words, letters and figures “time to time. Certificates issued prior to the date of implementation of IS: 14272:2011 in place of AIS: 053:2005 shall continue to be valid.” shall be substituted.

(iv) in clause (o), -

(a) for the letters and figures “AIS 053:2005”, the letters and figures “IS 14272: 2011” shall be substituted;

(b) for the words, letters, figures and brackets “time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).” the words, letters, and figures “time to time. Certificates issued prior to the date of implementation of IS: 14272:2011 in place of AIS: 053:2005 shall continue to be valid.” shall be substituted;

(v) in clause (r), in the Note, -

(a) for the letters and figures “AIS 053:2005,” the letters and figures “IS 14272: 2011,” shall be substituted;

(b) for the words, letters, figures and brackets “time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).” the words, letters and figures “time to time. Certificates issued prior to the date of implementation of IS: 14272:2011 in place of AIS: 053:2005 shall continue to be valid.” shall be substituted.

3. In the principal rules, in rule 96, in sub-rule (4), after clause (i) the following clauses shall be inserted, namely-

“(ia) for three wheelers manufactured on and after the 1st day of April, 2020 as per IS: 14664:2010, as amended from time to time;

(ib) for two wheelers manufactured on and after six months from the date of notification or the 1st day of April or October, whichever comes earlier, as per IS: 14664:2010, as amended from time to time.”.

4. In the principal rules, in rule 104, -

(i) sub-rule (2) shall be omitted;

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(4) The reflectors referred to in this rule and in rule 110 fitted with motor vehicles, manufactured on and after the 1st day of October, 2019, shall be of reflex type conforming to AIS-057 (Rev. 1): 2010 standard as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).”;

(iii) sub-rule (5) shall be omitted.

5. In the principal rules, in rule 104-A, for sub-rule (vi), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(vi) the reflect reflectors referred to in this sub-rule, shall be reflex type conforming to AIS-057 (Rev.1):2010 standard as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) for the vehicles manufactured on and after the 1st day of October, 2019.”.

6. In the principal rules, in rule 104-B, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(2) The reflectors referred to in sub-rule (1) fitted with agricultural tractors manufactured on and after the 1st day of October, 2019, be of reflex type conforming to AIS-057 (Rev.1): 2010 standard as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).”.

7. In the principal rules, in rule 104C, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(1) Every power tiller manufactured on and after the 1st day of October, 2019, shall be fitted with two white reflex reflectors of not less than seven square centimeters reflecting area in front of the power tiller, and one on each side and visible to oncoming vehicles from the front at night, conforming to AIS-057 (Rev.1): 2010 standards as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).”.

8. In the principal rules, in rule 110, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided also that the first and second proviso shall not apply to three wheelers with overall width not exceeding 1400 mm manufactured on and after the 1st day of October, 2019.”.

9. In the principal rules, in rule 124A, -

- (i) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(1A) The bulbs of the lighting and light-signaling devices specified in sub-rule (1) used on agricultural tractors manufactured on and after the 1st day of October, 2019, shall conform to AIS-034 (Part 1) (Rev.1): 2010 standard as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016):

Provided that S1 and C21 categories of bulbs specified in AIS-034 (Part 1) (Rev.1): 2010 standard shall not be used in lighting and light-signaling devices of agricultural tractors manufactured on and after the 1st day of October, 2019:

Provided further that R2 category of bulbs specified in AIS-034 (Part 1) (Rev 1): 2010 standard shall not be used in headlamps of agricultural tractors manufactured on and after the 1st day of October, 2019.”;

- (ii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(2A) The lighting and light-signaling devices of agricultural tractors manufactured on and after the 1st day of October 2019, shall be in accordance with AIS-030 (Rev.1): 2012 standard as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).”;

- (iii) for sub-rule (5), the following sub-rules shall be substituted, namely: -

“(5) The tow hook wherever used in combine harvester shall be in accordance with IS: 12362 (part 2) standard as amended from time to time.

(5A) On and after the 1st day of October 2019, the mechanical couplings for agricultural tractor shall be in accordance with AIS-091(Part 2): 2012 standard as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).

(5B) On and after the 1st day of October 2019, the front coupling device where ever provided for agricultural tractor shall be in accordance with AIS-109:2012 standard as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).”.

10. In the principal rules, in rule 124B, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(1) For the power tillers manufactured on and after the 1st day of October, 2019, the bulbs used for lighting and light signaling devices on power tillers, -

- (a) the head light main and dip;
- (b) the parking light;
- (c) the direction indicator lamp;
- (d) the tail lamp;
- (e) the reversing lamp;
- (f) the stop lamp;
- (g) the rear registration mark illuminating lamp,

shall be in accordance with AIS-034(Part 1) (Rev. 1): 2010 standard as amended from time to time till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016):

Provided that S1 and C21 categories of bulbs specified in AIS-034(Part 1) (Rev. 1): 2010 standard as amended from time to time, shall not be used in lighting and light-signaling devices of power tillers manufactured on and after the 1st day of October, 2019:

Provided further that R2 category of bulbs specified in AIS-034(Part 1) (Rev. 1): 2010 standard as amended from time to time, shall not be permitted for use in head lamps for power tillers manufactured on and after the 1st day of October, 2019.”.

11. In the principal rules, in rule 125, in sub-rule (2), -

- (i) for the first and second proviso, the following provisos shall be substituted, namely: -

“Provided that -

- (a) for L5 category (three wheeled vehicles) without body work and L1 and L2 categories (two wheeled vehicles) manufactured on and after the 1st day of October, 2019, the rear view mirror specification and installation requirements shall be as specified in AIS-001 (Part 2) (Rev.1):2011

and AIS-002 (Part 2)(Rev.1):2011 standard respectively, as amended from time to time, till such time the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016);

- (b) for L5 category (three wheeled vehicles) with body work manufactured on and after the 1st day of October, 2019, the rear view mirror specification and installation requirements shall be as specified in AIS-001 (Part 1) (Rev.1): 2011 and AIS-002 (Part 1) (Rev.1): 2011 standard respectively, as amended from time to time, till such time corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016);
- (c) for M and N category vehicles manufactured on and after the 1st day of October, 2019, the rear view mirror specification and installation requirements shall be as specified in AIS-001 (Part 1) (Rev.1): 2011 and AIS-002 (Part 1) (Rev.1): 2011 standard respectively, as amended from time to time, till such time corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016):

Provided further that, for L7 category vehicles manufactured on and after the 1st day of October, 2019, the rear view mirror specification and installation requirements shall be as specified in AIS-001 (Part 1) (Rev.1): 2011 and AIS-002 (Part 1) (Rev.1): 2011 standard respectively, as amended from time to time, till such time corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016):”

- (ii) after the third proviso, the following proviso shall be added-

“Provided also that on and after the 1st October, 2019, for agricultural tractors, the rear view mirror specifications and installation requirements shall conform to AIS-001 (Part 1) (Rev.1): 2011 and AIS:114-2009 standards respectively as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).”.

- 12. In the principal rules, in rule 126, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided also that the procedure for type approval and certification of agricultural tractors shall be in accordance with AIS-017 (Part 2) (Rev.2): 2016 standard as amended from time to time.”.

[No. RT-11028/11/2014-MVL Part- 1]

PRIYANK BHARTI, Jt, Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide notification number* G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide notification number* G.S.R. 1162(E) dated 04.12.2018.